<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0सं0ः–488/2020</u>

ओबरा थाना कांड संख्या ः–146/2020

<u>30.09.2020</u> आवेदक अब्दुल रउफ की ओर से ई–फायलिंग के तहत ट्रक निबंधन संख्या–UP21CN6466 के मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–06.07.2020 को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उक्त आवेदन दिनांक–06.07.2020 के आलोक में आवेदक अब्दुल रउफ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त ट्रक निबंधन सं0–UP21CN6466 ओबरा थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक ट्रक मालिक अब्दुल रउफ के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का जो भी आदेश होगा, आवेदक उसका पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रक निबंधन सं0–UP21CN6466 ओबरा थाना में जप्त है। उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि '' उक्त वाहन को मुक्त किया जा सकता है ।'' उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा पत्रांक–2230/टी0आर0/2020 दिनांक–20.07.2020 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी अब्दुल रउफ है । उक्त ट्रक का मोटरयान निरीक्षक कार्यालय से मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त है । उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी मुरादाबाद एवं मोटरयान निरीक्षक औरंगाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या–UP21CN6466, इंजन संख्या–61B84287792, चेसिस संख्या–MAT395024G5C03852 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की छाया प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन एवं मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक–22.07.2021 तक, कर की वैधता दिनांक–30.09.2020 तक, परमिट की वैधता दिनांक–04.08.2024 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः–01.08.2029 की मध्य रात्रि तक है यानी बीमा समाप्त हो गई है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखाते हुए आवेदक अब्दुल रउफ के पक्ष में ट्रक निबंधन संख्या–UP21CN6466, इंजन संख्या–61B84287792, चेसिस संख्या–MAT395024G5C03852 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक अब्दुल रउफ के पक्ष में ट्रक निबंधन संख्या–UP21CN6466 को मो0–15,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रोड परमिट की निर्गत प्रति की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन के मुक्ति के एक माह के अंदर बीमा कराकर उसकी अद्यतन प्रति की छायाप्रति दाखिल करेगा, उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन से सम्बन्ध जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।